SHRI SAUGATA ROY: Shri Madhu Lemaye, Prof. Mavalankar and hri Lakkappa have given notice of their intention to oppose the introduction of the Bill. There are other members who have given notice....(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you kindly listen to me? Or, are you so fond of listening to yourself? The moment legislative competence of the House was questioned by Shri Madhu Limaye, I decided that every Member who has given his name will be allowed to speak. Therefore, there is no question of one being allowed and another not being allowed.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, I have to make a submission in support of what the hon. Member, Prof. Mavalankar, said. Do we want only a ritual of a debate or do we want a debate which would be concerning itself with the issues raised by the hon. Members here? The hon. Minister of Education cannot be transformed all at once into the Minister of Law, who has conducted all the negotiations and discussions earlier. Now the hon. Minister of Education is catapulted into the House as Minister of Law to deal with the points which we would be making after a great deal of study and labour. So, what seems to be the intention of the Chair is that the matter should be decided by the physical process of voting, and not by the process of ratiocination and debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already told you that when Dr. Chunder took up the piloting of the Bill, he must have had full confidence that he can deal with the points.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Would it be a right assumption by the Chair? We want the reality of debate, and not a formal type of debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think it would be a reality. Shri Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं लगभग एक साल के बाद बोल रहा हूं और परिस्थिति ने मुझे मजबूर किया है, ऐसा करने के लिए। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात गौर से सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैं बहस उठाना चाहता हूं यह नियम 72 के तहत है। नियम 72 इस प्रकार है :—

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

इसलिए मेरी पहली मांग यह रहेगी कि न केवल उन लोगों को जिन्होंने इस पर बोलने की मांग की है, बल्कि उन लोगों को भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया जाए जिन-जिन लोगों ने इस पर बोलने की इच्छा प्रकट की है। उनकी इच्छा को भी पूरा किया जाए क्योंकि यह मामूली विधेयक नहीं है। यह संविधान की धाराओं में परिवर्तन करने वाला विधेयक है। इसलिए इस में कुछ बुनियादी सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस विधेयक को पारित करने का या इस को पेश करने का कानून मंत्रालय को अधिकार नहीं है।

13.45 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

[श्री मधु लिमये]

पहला प्वाइंट मेरा यह है कि कानून मंत्रालय को इस बिल को पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस विधेयक पर यह सदन विचार ही नहीं कर सकता है, पारित भी नहीं कर सकता है उसको यहां प्रस्तुत करना मैं मानता हूं कि संविधान के बुनियादी सिद्धान्तों का हनन है।

'It is against the basic features of the Constitution. It militates against the fundamental principles of the Constitution.'

कसे ? मैं कानूनी बहस यहां पर नहीं करता हूं। मैं राजनीतिक बहस करना चाहता हूं, मैं सिद्धान्तों की बहस करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि मैंने बेसिक फ़ीचर्ज़ का सवाल उठाया है इसलिए अदालतों के दो निर्णय उद्धृत करने का मुझे न केवल अधिकार है बल्कि मैं जरूरी भी मानता हूं। इसलिए मैं केशवानन्द भारती केस से प्रारम्भ करना चाहता हूं। यह जो केशवानन्द भारती वाला निर्णय है यह बहुत बड़ा निर्णय है इसलिए पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन इस निर्णय के अन्त में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों ने इस निर्णय के सारांश को अपने हस्ताक्षरों से दिया है। उस में से दो मुद्दों को पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। इस पर इस तरह लिखा है:

'The view of the majority on these writ petitions is as follows:

उसमें नम्बर दो मुद्दा यह है:

'Art. 368 does not enable Parliament' (which includes this House also) 'to alter the basic structure or framework of the Constitution'.

संविधान के बुनियादी ढांचे में, बुनियादी सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का अधिकार संविधान की धारा 368 के तहत इस सदन को और दूसरे सदन को नहीं है, पार्लियामेंट को नहीं है। यह इस में कहा गया है।

दूसरा अपने इस निर्णय के आधार पर मेरे खयाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान संशोधन का कानून पास हुआ था, कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट उसके एक हिस्से को उसने असंवैधानिक घोषित किया था। मैं उस धारा को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। अभी-अभी हम लोगों ने जो संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की यह जो इच्छा थी यह जो आदेश था उसका पालन किया है। वह धारा इस प्रकार है। 31 (सी) धारा का जो हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है 368 के तहत वह इस प्रकार है जिसको हम लोगों ने काट दिया है:

'And no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy would be called in question in any Court on the ground that it does not give effect to such policy.'

यह धारा थी कि अगर राज्य का विधि मंडल केवल यह घोषणा कर देता है कि फलां फलां जो धारा है यह निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज़ को कार्यान्वित करने के लिए है तो उसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है। इस धारा को हम लोगों ने काट दिया है क्योंकि केशवानन्द भारती का जो निचोड़ है उसको हम लोगों ने माना है, कि बेसिक फीचर्ज़ या फ्रेमवर्क को बदला नहीं जा सकता है। जब हम लोग जेल में थे तब यहां श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव का मामला सुप्रीम कोट के सामने आया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की जो धारा थी मेरे ख्याल से 329 एफ क्लाज 4, सभापति महोदय, यह धारा इस प्रकार थी:

"No law made by Parliament before the commencement of the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, in so far as it relates to election petitions and matters connected therewith, shall apply or shall be deemed ever to have applied to or in relation to the election of any such person as is referred to in clause (1) to either House of Parliament and such election shall not be deemed to be void or ever to have become void on any ground on which such election could be declared to be void or has, before such commencement, been declared to be void under any such law and notwithstanding any order made by any court, before such commencement, declaring such election to be void, such election shall continue to be valid in all respects and any such order and any finding on which such order is based shall be and shall be deemed always to have been void and of no effect."

मुझे पता नहीं मेरे मित्र श्री राज नारायण इस समय सदन में हैं या नहीं हैं।

श्री राज नारायण : (रायबरेली) हैं।

श्री मधु लिमये : यह आपका मामला था।

श्री राज नारायण : जी हां।

श्री मधु लिमये : आपकी यह चुनाव याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी इसमें आपकी जीत हो गई थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था और उनका जो चुनाव था उसको भी रद्द कर दिया गया था। तो एक व्यक्ति के चुनाव को बैध ठहराने के लिए यह कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल किया गया था। और उस समय हम सब लोग जेल में थे, मुझे पता नहीं इस पर जब बहस हुई तो उसमें क्या हुआ ? क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जो लोग बाहर थे हमारे मित्र उन्होंने जरूर इसका विरोध किया होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 जजों ने, जिसमें श्री ए० एन० रे भी थे, उन्होंने भी यह कहा कि संविधान में परिवर्तन करने की जो शक्ति, ताकत इस पार्लियामेंट की है अण्डर 368 उसका इस्तेमाल यह जो याचिकायें होती हैं, जुडिशियल केसेज होते हैं, उनका फैसला करने के लिए नहीं किया जा सकता है। It is beyond the competence of Parliament. सुप्रीम कोर्ट के चार जजेज ने, जिसमें अब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। मैंने यह दो उदाहरण इसलिए दिये कि कोई यह न कहे कि संविधान में मनमाने ढंग से संशोधन करने का पार्लियामेंट को अधिकार है। क्योंकि दो उदाहरण मैंने दिए जिसमें संविधान संशोधनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। यह तो कानूनी पहलू हुआ।

लेकिन सभापति महोदय, मैं केवल कानूनी पहलू की बात नहीं करता हूं, और मैं जो आज बोल रहा हूं यह भी आज की परिस्थिति को देख कर नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सिद्धान्तों की जहां बात आती है, बुनियादी बातें आती हैं तो मैं एक ही राय हमेशा रखता हूं और मैं अवसरवादी दृष्टिकोण से किसी चीज को नहीं देखता। 1973 में इसी तरह का एक कानून संविधान संशोधन विधेयक, इस सदन के सामने आया था और उसकी जो मूल धारा थी और इस कानून की जो मूल धारा है, वह एक ही है। क्या जनता पार्टी का और जनता सरकार का इतना पतन हो गया है सभापति महोदय, कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की जो सरकार है उस सरकार ने जो विधेयक यहां पर रखा और जो विधेयक अन्तर्गत विरोध के चलते या विरोधी दल के विरोध के चलते जो

[Shri B. K. Nehru]

coons. The concentration of ownership of newspapers should be restricted. No one should be allowed to own more than two or three newspapers. If it comes about, an appropriate action should be taken.

Then, there is clause 14 in regard to complaints, how to deal with complaints. A complaint is brought to the Council and it will be discussed in the Council. What do they do about it? They express in writting that a warning may be issued. But no action is being taken against them. So, this sort of an imbalance as regards the owners on one side and the newspapers on the other side should be removed. The owners of newspapers should also be restrained in their opeations. The newspapers should expand their activities that will help the nation.

*SHRI GOVINDA MUNDA (Keonjhar): Madam Chairman, I am grateful to you that you have given me an opportunity to speak in my mother tongue.

This Press Council Bill has been passed by the Rajya Sabha. The hon. Minister for Information and Broadcasting has presented this Bill in the House which I welcome. After it is passed by Lok Sabha it will became an Act.

Madam Chairman, I am glad that our Government is fulfilling the promises they had made during the elections. They have already passed the Constitution Fortyfifth (Amendment) Bill and the present Bill is another legislation in the same direction. While supporting this Bill I remember the days of emeregncy. Madam, I was a press reporter. One night at 12.00 p.m. the policemen knocked at my door and when I appeared before them they forced me to sign on a paper. I am really happy that this Bill make an end to that black period.

Madam Chairman, you will agree that atrocities are still being perpetrated on persons belonging to the weaker sections of our society and it is the responsibility of the press correspondents to highlight the truth.

MR. CHAIRMAN: If you require more time you can continue on Monday because we have to take up Private Members Business now. The House will now take up Private Members Business.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS—Contd.

TWENTY-THIRD REPORT

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 23 अगस्त, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Twenty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 23rd August, 1978."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM TO CHECK RISING PRICES—Contd.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up further discussion on the resolution moved by Shrimati Ahilya P. Rangnekar.

Mr. Mohan Dharia.

*The original speech was delivered in Oriya.